UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Political Science
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 116-118
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# भारत में मानवाधिकार और उनकी प्रासंगिकता

*प्रस्तुत शोधपत्र, भारत में मानवाधिकार और उनकी प्रासंगिकता के अध्ययन से सम्बंधित है। भारत की मानवाधिकारों के प्रति सैद्धांतिक प्रतिबद्धता जग-जाहिर है। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को समुचित सम्मान भी प्रदान किया गया है। परंतु क्या व्यवहार में भी मानवाधिकारों की पालना उसी रुप में की जा सकती है, यह चर्चा का विषय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में मानवाधिकारों की स्थिति वास्तव में जटिल है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात रहा है। समसामयिक दृष्टिकोण से मानवाधिकारों का सम्मान गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है। परस्पर सद्भाव द्वारा ही हम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी ओर से गारंटी दे सकते हैं, तभी ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' साकार होगा और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा।*

**सिद्धार्थ राव**

**प्र**स्तावना :

अधिकार सभ्य समाज की परिकल्पना है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु अधिकार अपरिहार्य है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ ही मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। किसी भी राष्ट्र की सीमा ऐसे अधिकारों को न बांध सकती है और न ही बदल सकती है। मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी है। संविधान में बनाये गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानवाधिकारों का माना जा सकता है, क्योंकि ये वे अधिकार हैं, जो सीधे प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे जीने का अधिकार केवल कानून सम्मत अधिकार नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति नें प्रदान किया है। इन अधिकारों को अपने प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित करना सम्बन्धित सरकार का दायित्व है।

**मानवाधिकार की अवधारणा :**

मानवाधिकार शब्द भले ही आधुनिक लगता हो, किन्तु इसकी अवधारणा उतनी ही पुरानी है, जितनी की मानव जाति। इस अवधारणा का विकास सत्ता के निरकुंश उपयोग पर अंकुश लगाना है। ''मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में सन् 1215 का इंग्लैण्ड का प्रसिद्ध आज्ञापत, जिसे मेग्नाकार्टा कहा जाता है, ने मानवाधिकार की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। सन् 1688 की ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रान्ति ने मानवाधिकार की अवधारणा को विस्तार दिया। इस क्रान्ति में ''बिल ऑफ राईटस'' के द्वारा व्यक्ति की उन मौलिक स्वतन्त्रताओं को मान्यता दी गई जिनका अब तक हनन किया गया जाता रहा था। इसके बाद 1776 की अमेरीकी क्रान्ति तथा 1789 की फ्रांस की क्रान्ति ने मानवाधिकारों को विकसित होने के लिए आधार भूमि तैयार की। भारतीय इतिहास में देखने पर पता चलता है कि अशोक के आदेश पत्रों आदि अनेक प्राचीन दस्तावेजों में एवं विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में अनेक ऐसी अवधारणाएँ हैं, जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

मानवाधिकार की आधुनिक संकल्पना का विकास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के मध्य हुआ, क्योंकि इन्हीं वर्षों के दौरान समाज के सामने व्यापक स्तर पर मानवाधिकार की घटनाएँ पुष्ट हो रही थी। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने के प्रयास शुरू हुए, जिसमें युद्ध की विभीषिका दोहराई न जा सके फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की तभी से प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीस अध्यायों के मानव अधिकार घोषणा पत्र में ऐसे अधिकारों का उल्लेख है, जिन्हें विश्व समस्त देशों के स्त्री पुरूष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र मानव सभ्यता के इतिहास में पहला दस्तावेज हैं, जिसमें अधिकारों की न सिर्फ विस्तृत व्याख्या की गई, अपितु इसे नयी विश्व व्यवस्था के आदर्श व अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मूल्य रूप में स्थापित भी किया गया।

**भारतीय संविधान व मानवाधिकार :**

15 अगस्त, 1947 को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के उपरान्त भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई और तत्पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किया गया और भारत को एक प्रजातान्त्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यह आवश्यक है

*व्याख्याता ( राजनीति विज्ञान विभाग ), राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ ( राजस्थान )*

कि संविधान में नागरिकों के लिए कुछ ऐसे मूलभूत अधिकारों का समावेश हो, जिनका अतिक्रमण न तो कार्यपालिका ही कर सके और न ही विधानमण्डल। संयोगवश मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के समय भारत का संविधान निर्माणाधीन था और हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूरी तरह परिचित थे और अपने देश के नागरिकों के लिए ऐसी ही व्यवस्था चाहते थे। परिणामस्वरूप ''भारतीय संविधान में अत्यन्त महत्वपूर्ण मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंप कर इन्हें गारन्टीकृत भी किया गया तथा कतिपय महत्वपूर्ण मानवधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है।''

**संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार :**

भारतीय संविधान में मानव अधिकारों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में ''हम भारत के लोग'' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि भारतीय की सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित है अर्थात् शासन की सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता के हाथ में है।

भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा देश के नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 'सम्पत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है और अब यह केवल एक कानूनी अधिकार ही रह गया है। इसके समाप्त हो जाने के बाद छः मौलिक अधिकार शेष बचे हैं।

**(1) समानता का अधिकार :**

संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक नागरिकों को प्रदत्त 'समानता के अधिकारों' का उल्लेख किया गया है।

**(2) स्वतन्त्रता का अधिकार :**

भारतीय संविधान के अनुच्छे 19 से लेकर 22 में स्वतन्त्रता के अधिकारों का उल्लेख है।

**(3) शोषण के विरूद्व अधिकार :**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 द्वारा नागरिकों के शोषण के विरूद्व अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के अन्तर्गत जुलाई, 1975 में बंधक मजदूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है।

**(4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार :**

अनु. 25 से 28 में नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

**(5) संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार :**

संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को अपनी संस्कृति एवं शिक्षा की रक्षा तथा उन्नति सम्बन्धी अधिकारी दिए गए हैं।

**(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार :**

संवैधानिक उपचार संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा निम्न पांच प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं :

**(1)** बन्दी प्रत्यक्षीकरण **(2)** परमादेश **(3)** प्रतिषेध **(4)** उत्प्रेषण **(5)** अधिकार पृच्छा।

**भारतीय संविधान और मानवाधिकारों के नये आयाम :**

मानव सभ्यता एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ–साथ मानव अधिकारों के दायरे में अभिवृद्धि हुई है। इस कारण न्यायपालिका द्वारा समय–समय पर नये–नये मानव अधिकारों की व्याख्या और संरक्षण की दिशा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कई महत्वपूर्ण फैसले प्रदान करके किया गया है। आज उन सभी अधिकारों को मानव अधिकार माना जाने लगा है, जैसे –

**(1) प्रेस की स्वतन्त्रता :** सर्वोच्च न्यायालय नें ''रोमेश थापर बनाम् मद्रास राज्य'' के मामले में अपने निर्णय में कहा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में ही प्रेस की स्वतन्त्रता निहित है।

**(2) जानने का अधिकार :** ''एस.पी.गुप्ता बनाम् भारत का राष्ट्रपति'' मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में सरकार के संचालन से सम्बन्धित सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। इसी के तहत संसदने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर लागू किया।

**(3) शिक्षा का अधिकार :** ''कुमारी मोहिनी जैन बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक'' के बाद में उच्चतम न्यायालय नें यह निर्णय दिया था कि संविधान के अनु.21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। अतः संसद नें 86वां संविधान संशोधन पारित कर अनु. 21(क) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है।

**(4) आहार पाने का अधिकार :** एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे लोग जो खाद्य सामग्री खरीदने की असमर्थता के कारण भूख से पीड़ित हैं, उन्हें अनु.21 के अधीन राज्य द्वारा खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का मूल अधिकार है। इस दिशा में संसद द्वारा 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है।

**(5) जीवकोपार्जन का अधिकार :** सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनु.21 के अन्तर्गत ''प्राण के अधिकार'' में जीवकोपार्जन का अधिकार भी आता है। अतः काम का अधिकार भी इसमें शामिल है। 2005 में संसद द्वारा पारित तथा 2 फरवरी, 2006 से लागू महानरेगा ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार के अधिकार के रूप में सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी प्रदान की है।

**मानवाधिकार के सम्मुख चुनौतियाँ :**

भारत में मानवाधिकार हेतु किये गये प्रयासों के मार्ग में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। भारतीय समाज में गहरी होती लोकतंत्र की जड़ें तथा मानवाधिकार आन्दोलन की बढ़ती व्यावसायिकता के कारण इसकी चुनौतियां बढ़ गयी है।

तटवर्ती क्षेत्रों के व्यवसायीकरण का मुद्दा, पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा, औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, किसानों व मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो समसामायिक मानवाधिकार आन्दोलन की मुख्य चुनौतियाँ हैं। दूसरे, सार्वजनिक जीवन के सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जटिल व द्रूतगामी परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या पलायन व विस्थापन की प्रक्रिया ने भी मानवाधिकार आन्दोलन की भूमिका का विस्तार किया है।

तीसरे, आतंकवादी घटनाओं के फलस्वरूप जो जान माल का नुक्सान होता है और लोगों का शोषण होता है, उसके प्रति भी मानवाधिकार आन्दोलन को सजग होना होगा, न कि मूकद्रष्टा बनकर खड़े रहना।

चौथे, मानवाधिकार समूहों की कार्य प्रकणाली एक संगठन को उचित दिशा देने की भी आवश्यकता है, चूंकि इन समूहों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इनके बीच सामंजस्य भी अपेक्षित है।

पाँचवा, मानवाधिकार समूहों व संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार व विधियों की घपलेबाजी का तत्व भी मानवाधिकार आन्दोलन की सीमाओं को उजागर करता है। इन समूहों में भी स्वार्थपरकता एवं क्षेत्रवाद के तख घर करते जा रहे हैं।

छठा, आज मानवाधिकार आन्दोलन द्वारा व्यापक सामाजिक संदर्भ एवं हित में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की भी जरूरत है। विकास के नाम पर यदि लोगों के मानवाधिकार का हनन होता है, उनकी भूमि छीनी जाती है, तो मानवाधिकार समूहों को सम्बद्ध क्षेत्र के लोक हितों व सामाजिक संदर्भ को देखना होगा।

अन्त में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित आयोग जैसे सरकारी राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना के बावजूद भी मानवाधिकार के संरक्षण एवं सवंर्धन का लक्ष्य अभी भी टूट की वस्तु बनी हुई है। मानवाधिकार हनन के मामले इन संगठनों के समक्ष प्रकट रूप में है। मानवाधिकार हनन की बढ़ती हुई घटनाएँ इन संगठनों की भूमिका को संदेह के घेरे में लेते हैं। ऐसे में इनके समक्ष जनता के खोये हुए विश्वास को प्राप्त करना मुख्य चुनौती है।

**निष्कर्ष :**

भारत की मानवाधिकारों के प्रति सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जग–जाहिर है। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को समुचित सम्मान भी प्रदान किया गया है। परन्तु क्या व्यवहार में भी मानवाधिकारों की पालना उसी रूप में की जा रही है। यह चर्चा का विषय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में मानवाधिकारों की स्थिति वास्तव में जटिल है। भारत में जहाँ कि 70 प्रतिशत जनता आज भी गाँव में बिजली का मतलब ढूँढ़ रही है, पीने का साफ पानी नहीं है, जिसके कारण हजारों बच्चे डायरिया का शिकार हो रहे हैं। जहाँ गरिमापूर्ण जीवन की तलाश में कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ अधिकार की बात करने कौन आगे आयेगा? सरकार के लिए यही काफी है कि उसने देश में नियम व कानूनो का ढेर लाग दिया है, वस्तुस्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में सामाजिक स्तर पर भेदभाव किये जाते हैं। एक तरफ तो हम सैद्धान्तिक रूप से स्वयं को एक विकासशील राष्ट्र मानते हुए अपने आर्थिक राजनैतिक विकास का गौरवगान करते हैं वहीं दूसरी ओर समाज मे होने वाला भेदभाव अस्पृश्यता, अमानवीय एवं क्रूर व्यवहार उसे एक पिछड़े देश की श्रेणी में ला खड़ा करता है। विडम्बना यह है कि हम अपने इस निन्दनीय व्यवहार के लिए अपने प्राचीन इतिहास की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं की दुहाई देते हैं। आज भी हमारे देश में जाति व्यवस्था मानवता को चुनौती दे रही है। यद्यपि हमारे देश की सरकार मानवाधिकारों के प्रति सजग है, किन्तु इस सजगता में और अधिक धार लाने की आवश्यकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार और उसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात रहा है। समसामयिक दृष्टिकोण से मानवाधिकारों का सम्मान गम्भीर चिन्तन का विषय बना हुआ है। परस्पर सद्भाव द्वारा ही हम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी ओर से गारंटी दे सकते हैं, तभी ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का हमारा सहज साकार होगा और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा।

***संदर्भ :***


*(1) मीना, डॉ. जनक सिंह (2015) : मानवाधिकार : संकल्पना एवं यथार्थ, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।*

***(2)** चतुर्वेदी, सतीश (2002) : मानवाधिकार और संयुक्त संघ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।*

***(3)** गुप्ता, सतीश (2010) : भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार, इशिका पब्लिशिंग हाउस।*

***(4)** उपाध्याय, डॉ. जय जय राम (2002) : मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।*

***(5)** त्रिपाठी, प्रदीप (2002) : मानवाधिकार और भारतीय संविधान, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*

***(6)** श्रीवास्तव, सुधारानी (2003) : भारत में मानवाधिकार की अवधारणा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।*

***(7)** सिंह, विकास (2014) : भारत का संविधान–एक समग्र अध्ययन, आर्शीवाद, पब्लिकेशन, जयपुर।*

***(8)** चतुर्वेदी, डॉ. अरूण और लोढ़ा, डॉ. संजय (2005) : भारत में मानव अधिकार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।*

***(9)** बसु, डी.डी (2009) : भारत का संविधान–एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, नागपुर।*

***(10)** जोशी. आर.पी. (2009) : मानवाधिकार और कर्त्तव्य, अभिनव प्रकाश अजमेर।*

***(11)** धर, प्रांजल (2006) : 'मानवाधिकार और वर्तमान समय', कुरूक्षेत्र।*

***(12)** गुप्ता, अर्जुन देव तथा अर्जुन देव, इन्दिरा (1996) : मानव अधिकारः एक स्त्रोत'' एन.सी. ई.आर.टी.पब्लिकेशन, नई दिल्ली।*

***(13)** शर्मा, सुभाष (2006) : भारत के मानवाधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।*

***(14)** चंदेल, धर्मवीर (2013) : मानवाधिकार संघर्ष एवं चुनौतियाँ, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।*


❁ ❁

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Political Science
Research Link - 167, Vol - XVI (12), February - 2018, Page No. 119-121
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्व
## (सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में)

*प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों का, सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय - त्रिस्तरीय राजनीति है। केन्द्र की राजनीति बाहरी तत्वों के साथ-साथ राज्यीय और स्थानीय राजनीति से प्रभावित होती है, तो राज्य की राजनीति केन्द्र और स्थानीय राजनीति से निर्धारित होती है। इसी प्रकार स्थानीय राजनीति को केन्द्र और राज्य की राजनीति के साथ-साथ स्थानीय तत्व प्रभावित करते हैं। मध्यप्रदेश के सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति को प्रारंभ से वर्तमान तक प्रत्याशी का व्यक्तित्व, प्रत्याशी के द्वारा किए गए विकास कार्य, उसका नेतृत्व, उसकी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, धनबल, बाहुबल, चुनाव प्रचार, गुटबंदी, प्रत्याशी का निवास आदि निर्धारकों ने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया है।*

**डॉ.आभा जैन**

भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत में आंतरिक शांति, सुव्यवस्था और राष्ट्रीय एकता तथा विकास के लिए राज्यों की राजनीति का महत्व बहुत अधिक है। भारत में त्रिस्तरीय– राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय राजनीति है। भारत में संविधान एक है, परन्तु राज्यों की राजनीति को स्थानीय निर्धारक तत्व अधिक प्रभावित करते हैं। इन निर्धारक तत्वों के कारण ही अलग अलग राज्यों में राजनीति का स्वरूप भी अलग–अलग देखने को मिलता है। 1972 के पूर्व भोपाल, सीहोर जिले के अन्तर्गत आता था। वर्तमान में सीहोर, भोपाल के नजदीक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की हर घटना का राज्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक तत्व निम्न है :

**जाति :**

प्रारंभ से ही भारतीय समाज चार वर्णों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बंटा रहा। इनके कर्म के अनुसार ही जातियों का निर्माण हुआ। बाद में इन जातियों का आधार कर्म के स्थान पर जन्म ने ले लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उच्च जाति का और शूद्र को निम्न जाति का माना जाने लगा। संविधान द्वारा भारत में जाति निरपेक्ष राजनीति की स्थापना की गई, तथापि स्वंतत्रता पश्चात् चुनावी राजनीति में जाति प्रभाव अनवरत् रूप से बढ़ता गया है। सीहोर निर्वाचन क्षेत्र में ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, लोधी, चमार, वलई, खाती, काछी, कुर्मी तथा मुस्लिम में पठान शेख जातियों के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में सामान्य जाति के 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 48 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत मतदाता हैं।

**धर्म :**

भारतीय संविधान ने धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। धर्म निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है तथा नागरिकों को किसी भी धर्म के पालन तथा प्रचार प्रसार का अधिकार प्राप्त है। आज देश में कई राजनीतिक दलों का निर्माण भी धर्म के आधार पर ही हुआ है। जिनमें हिन्दू महासभा, शिवसेना, मुस्लिम लीग, रामराज्य परिषद एंव अकाली दल प्रमुख हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बहरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद जैसे भाजपा के सहयोगी संगठनों की भी चुनाव में निर्णायक भूमिका रही है। धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन भी किया जाता है। सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हिन्दू, मुस्लिम, सिख इसाई, जैन, बौद्ध आदि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या है, जिनमें हिन्दू 9,61,700 (2001 के अनुसार) है, जबकि मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या 1,09,122 है। तीसरे स्थान पर जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर इसाई धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या। यहाँ के मतदाता ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं, जो धार्मिक विचारों वाला हो रमेश सक्सेना की लगातार 4 विधानसभा निर्वाचनों मे जीत का कारण धार्मिक होना भी है। सक्सेनाजी न केवल हिन्दू, बल्कि मुसलमानों के धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं।

**साम्प्रदायिकता :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारकों में ''साम्प्रदायिकता'' निर्धारक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि साम्प्रदायिक दृष्टि से सीहोर संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कई बार हिन्दू–मुस्लिम दंगे हो चुके हैं। यहाँ पर हिन्दुओं की संख्या

*अतिथि विद्वान ( राजनीतिशास्त्र विभाग ), शासकीय महाविद्यालय, केसली-सागर ( मध्यप्रदेश )*

मुस्लिमों से अधिक है। जनप्रतिनिधि यहाँ के साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाये रखते हैं। हिन्दु समाज के लोग रोज़ा अफ्तार का आयोजन करते हैं और ईद की बधाई देते हैं, तो मुसलमान भी हिन्दू धर्म के त्यौहारों पर उत्साह पूर्वक आयोजन करते हैं। सभी सम्प्रदाय के लोग अपने विवके से मतदान करते हैं।

**जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये विकास कार्य :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारकों में ''विकास कार्य'' की महत्वपूर्ण भूमिका रही, सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रारंभ से ही प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्र के विकास को ही प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया जाता रहा है। यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा किए विकास कार्यों का अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में भाजपा की तुलना में कांग्रेस के द्वारा अधिक विकास कार्य किया गया है। शंकरलाल साबू (पूर्व कांग्रेस जनप्रतिनिधि) के द्वारा गर्ल्स कॉलेज की स्थापना, नवोदय विद्यालय श्यामपुर की स्थापना, सीहोर में रविन्द्र सांस्कृतिक भवन (टाउन हाल) की स्थापना, राज्य परिवहन निगम डिपो की स्थापना, विद्युत मंडल का सर्विस स्टेशन तथा उद्योगों का विकास एवं बिजली, सड़क, पानी की स्थिति में सुधार, उत्तम रेल परिवहन की व्यवस्था में मुख्य रूप से कांग्रेस की भूमिका रही है। भाजपा ने भी ग्रामीण क्षेत्रों सड़के, पुलिया, स्टापडेम, रपटे, बहुउद्देशीय भवन, डामरीकृत, सड़कें, शहरी क्षेत्रों में एसीसी रोड, सीहोर की पेयजल की गंभीर समस्या के लिए 150 से अधिक नलकूपों की व्यवस्था आदि संबंधी विकास कार्य किए हैं। मतदाता मत देते समय इन विकास कार्यों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं।

**राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय एवं स्थानीय मुद्दों का प्रभाव :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारकों में राष्ट्रीय, प्रदेशस्तरीय एवं स्थानीय मुद्दों का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रारंभ में 1952 और 1957 के समय कांग्रेस पार्टी का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिला क्योंकि उस समय जनता कांग्रेस के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थीए 1958 में यहाँ पहला उपचुनाव हुआ, इसमें जनसंघ के प्रत्याशी दीवानचंद महाजन विजयी रहे। 1967 के विधानसभा चुनाव में स्थिर सरकार देने के वादे को जनसंघ द्वारा प्रमुखता दी गई जिसके आधार पर पुनः जनसंघ के प्रत्याशी विजयी रहे। 1972 के चुनाव में भारत द्वारा बांग्लादेश पर विजय को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रमुख उपलब्धि बताया गया, वही 1977 के चुनाव में पूरे देश व्यापी 'जनता लहर' का सीहोर विधानसभा क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव पड़ा यहाँ से कांग्रेस के शंकरलाल साबू विजयी रहे। 1990 में आडवाणी की रथयात्रा ने देशभर में हिन्दूवादी भावनाओं को को उभारा, इसका असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ा और भाजपा के पक्ष में मतदाताओं का भावानात्मक झुकाव बढ़ता गया। यहाँ से भाजपा के मदनलाल त्यागी विजयी रहे। 6 दिसम्बर 1992 में अध्योया में रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद की घटना के बाद हुए देश भर में दंगों के कारण भाजपा के प्रति जनसाधारण का मोहभंग हो चुका था। इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर भी पड़ा अतः 1993 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी रमेश सक्सेना को वोट देकर भारी मतों से विजयी किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में एकबार फिर मध्यप्रदेश में भाजेपा की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। सीहोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से भी भाजपा के रमेश सक्सेना विजयी रहे।

**धनबल एवं बाहुबल :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति में धनबल एवं बाहुबल की भूमिका बढ़ती जा रही है। अधिकांश प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए पूंजीपतियों एवं कंपनियो से आर्थिक सहयोग लेते हैं। सत्ता में आने पर अपने सहयोगियों को मनमाफिक लाभ पहुँचाते हैं। पूर्व समय में चुनाव बहुत ही कम खर्च में सम्पन्न हो जाते थे, क्योंकि मतदाता ईमानदार और योग्य प्रत्याशी को प्राथमिकता देते थे, लेकिन वर्तमान में धनबल और बाहुबल का प्रभाव इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि एक ईमानदार और योग्य प्रत्याशी भी धन की कमी के कारण चुनाव हार जाता है। प्रत्याशी ना केवल लोकसभा एवं विधानसभा वरन् स्थानीय निकाय के चुनाव में भी अपने पक्ष में मत प्राप्त करने के लिए धनबल और बाहुबल दोनों का प्रयोग करते हैं।

**प्रत्याशी का निवास स्थान एवं क्षेत्रीयता :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति में प्रत्याशी का निवास स्थान एवं क्षेत्रीयता निर्धारक की भूमिका निभाते हैं। यदि प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र का स्थानीय निवासी है, तो उसका जाति, धर्म और सामाजिक स्तर पर लोगों के संपर्क में रहने से बाहरी प्रत्याशियों की अपेक्षा अधिकतम मत प्राप्त होते हैं। जनता उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकती है। जनप्रतिनिधि क्षेत्र के निवासी होने से जनता के सुख दुख में उनके साथ रह सकते हैं। क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी रहने पर क्षेत्र की जनता एवं नेताओं में अधिकतर उनका विरोध हुआ है। यद्यपि 1980 में श्री सुंदरलाल पटवा इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी न होने के बावजूद भी विजयी रहे तथापि उनकी जीत का अंतर सबसे कम केवल 176 मत ही रहा। सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारकों में से एक निर्धारक क्षेत्रीयता है। मतदाता स्थानीय प्रत्याशी को विशेष महत्व देते हैं। रमेश सक्सेना, मदनलाल त्यागी, शंकरलाल साबू, दीवानचंद महाजन आदि की विजय का कारण क्षेत्रीयता रही।

**निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारकों में निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रभाव कभी प्रत्यक्ष या कभी अप्रत्यक्ष रुप से रहा है। 1952 से लेकर 2008 तक कुल 13 विधानसभा निर्वाचन और एक उपचुनाव में 1993 का विधानसभा निर्वाचन विशेष है क्योंकि इस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रमेश सक्सेना भारी मतों से विजयी रहे। यहाँ की जनता ने किसी भी दल के प्रत्याशी की तुलना में निर्दलीय प्रत्याशी को अपना मत दिया था। वैसे तो क्षेत्र की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का वर्चस्व रहा है, फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचन में अपना भाग्य अजमाते हैं। इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की हार–जीत में निर्णायक भूमिका निभाई है।

**शीर्ष नेतृत्व का प्रभाव :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति में शीर्ष नेताओं का भी प्रभाव देखने को मिलता है। भाजपा के साथ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अटल बिहारी वाजपेयी,

सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आणवानी के व्यक्तित्व का प्रभाव जुड़ा हुआ है। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, माधवराज सिंधिया का प्रभाव रहा है, तो भाजपा में सुंदरलाल पटवा और शिवराजसिंह चौहान के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है।

**चुनाव प्रचार :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारक के रूप में चुनाव प्रचार की जनसाधारण के मनोविज्ञान को प्रभावित करने में अहम् भूमिका होती है। मनोविज्ञान के साथ–साथ चुनाव प्रचार जनता को भावनात्मक रूप में भी प्रभावित करता है। उम्मीदवार द्वारा जनसभाएँ,रैलियाँ,आकर्षक नारे, दीवारलेखन, पोस्टर, बड़े–बड़े बोर्ड, बैनर, कट आउट, नुक्कड़ सभाए, टेप, वीडियो गीतों के द्वारा प्रचार कार्य किया जाता है। साथ ही साथ मतदाताओं से घर–घर जाकर जनसंपर्क किया जाता है।

**व्यक्तित्व :**

सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति के निर्धारकों के रूप में उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि का गहरा प्रभाव पड़ा है। राजनीति दलों द्वारा प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को अपना प्रत्याशी बनाया गया, जिनका प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं लोकप्रियता मतदाताओं के बीच अधिक थी। क्षेत्र की जनता भी यही चाहती है कि उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी हो उसमें वाकपुटता, मिलनसारिता, सहयोग की भावना नेतृत्व की क्षमता एवं व्यवहारिकता होना चाहिए। सीहोर विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण ही विजयी रहे। इस प्रकार यहाँ की राजनीति का प्रमुख निर्धारक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रमुख कारण है, जबकि कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रत्याशी का न होना है।

इस प्रकार उपरोक्त निर्धारकों ने सीहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति को निर्धारित किया है। प्रांरभ से वर्तमान तक प्रत्याशी का व्यक्तित्व, प्रत्याशी के द्वारा किए गए विकास कार्य, उसका नेतृत्व, उसकी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता धनबल, बाहुबल चुनाव प्रचार, गुटबंदी प्रत्याशी का निवास आदि निर्धारकों ने यहाँ की राजनीति को निर्धारित किया है।

***संदर्भ :***


*(1) कोठारी, रजनी : कॉस्ट इन इन्डियन पॉलिटिकल सिस्टम योरियन्ट लॉगमेन, दिल्ली।*

*(2) नारायण, जयप्रकाश : इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पृष्ठ 15.*

*(3) सीहोर विधानसभा निर्वाचन योजना पुस्तिका 2008.*

*(4) शुक्ल, गिरिजाशंकर (1998) : मध्यप्रदेश में चुनावी राजनीति, अनामिका प्रकाशन, भोपाल, पृष्ठ 67.*

*(5) श्रीमती ममता त्रिपाठी, जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारितं*

*(6) विधायक रमेश सक्सेना जी से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित।*

*(7) रामनारायण ताम्रकार, पूर्व पत्रकार से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित।*


❁ ❁


## UGC -
## Approved - Journal

**UGC Journal Details**

| | |
|---|---|
| Name of the Journal : | Research Link |
| ISSN Number : | 09731628 |
| e-ISSN Number : | |
| Source: | UNIV |
| Subject: | Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all) |
| Publisher: | Research Link |
| Country of Publication: | India |
| Broad Subject Category: | Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science |

Print


## शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

( 1 ) शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।
( 2 ) **हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10** (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।
**( 3 ) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि** (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।
( 4 ) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।
(4) शोधपत्र की विधि - ( 1 ) शीर्षक ( 2 ) एबस्ट्रेक्ट ( 3 ) की-वर्ड्स ( 5 ) प्रस्तावना/प्रवेश ( 5 ) उद्देश्य ( 6 ) शोध परिकल्पना ( 7 ) शोध प्रविधि एवं क्षेत्र ( 8 ) सांख्यिकीय तकनीक ( 9 ) विवेचन या विश्लेषण ( 10 ) सुझाव ( 11 ) निष्कर्ष एवं ( 12 ) संदर्भ ग्रंथ सूची।
( 6 ) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

**For Books :**
(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

**For Journals :**
(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

**Web references :**
http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

( 7 ) **गुजराती माध्यम** के शोधपत्र **हरेकृष्णा ( Harekrishna ), टेराफोंट वरुण ( Terafont Varun ), टेराफोंट आकाश ( Terafont Aaksah )** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।
( 8 ) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁ ❁